

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)

मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर

क्र./प्रशा./वि.क./ऑ/Induction Trg. 2023/

दिनांक:-05.10.2023

कार्यालय आदेश-102

प्रशासन 12 द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. 96 दिनांक 04.10.2023 के अनुपालन में, लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विधि कक्ष द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. 99, दिनांक 04.10.2023 पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली शाखा- ग्वालियर, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), म.प्र. भोपाल एवं इस कार्यालय के समूह अधिकारियों से निवेदन है कि प्रशासन 12 द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. 96, दिनांक 04.10.2023 में स.क्र. 23 से 38 तक वर्णित लेखापरीक्षकों (CGLE 2021 batch) को कार्यालय/समूह जहाँ उनकी पदस्थापना हुई है, उन्हें Audit Requisition, Audit Memo, Draft IR, Draft Report तैयार करने हेतु प्रशिक्षण देवें।

In Compliance of Admin 12 Office Order No. 96 dated 04.10.2023, no action is required on Office Order no. 99 dated 04.10.2023 related to training of Auditors issued by Legal Cell.

O/o The Director General of Audit (Central Receipt) New Delhi Branch Gwalior, O/o The Accountant General (Audit-II) MP, Bhopal and Group Officers of this Office are requested to train the Auditors (CGLE 2021 batch) mentioned from Serial No. 23 to 38 in Office Order no. 96 dated 04.10.2023 of Admin-12 to prepare Audit Requisition, Audit Memo, Draft IR and Draft Report in the Office/Groups where they are posted.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन महोदय द्वारा अनुमोदित)

देश्म

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

क्र./प्रशा./वि.क./ऑ/Induction Trg. 2023/

दिनांक:-05.10.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), म.प्र. ग्वालियर
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), म.प्र. भोपाल – कृपया उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।
3. उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली शाखा- ग्वालियर - कृपया उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।
4. सचिवालय/ वरिष्ठ उप महालेखाकार (AMG-V & Admn), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), ग्वालियर
5. उप महालेखाकार/AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), ग्वालियर - कृपया उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 12
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-I (मुख्यालय), AMG-II (मुख्यालय), AMG-III (मुख्यालय), AMG-IV (मुख्यालय) एवं AMG-V(मुख्यालय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing- कृपया इंटरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. – कृपया इंटरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित नव नियुक्त लेखापरीक्षकों को अनुपालनार्थ।
11. सूचना पटल।



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष